

## COVID-19 महामारी के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाले असाधारण उपाय

७ मई को एक नये [कानून २०-सी / २०२०](#) को मंजूरी दी गई है, जो सामाजिक सुरक्षा लिए असाधारण उपाय स्थापित करती है:

● **असाधारण सहायता उपायों को उन लोगों के लिए बढ़ाया जाता है/ शामिल किया जाता है,** जिनका खुद का व्यवसाय है, जो अपने व्यवसाय का प्रशासन करते थे, जिनके यहाँ कर्मचारी काम करते थे, जिनकी सालाना बिक्री ८० हजार यूरो तक की है, और वह व्यापारी जो इसके अधिकारी नहीं थे, या जो विक्री कर से मुक्त थे, अर्थात वह लोग जो आर्थिक सहाय मिलने के अधिकार में शामिल नहीं थे

● एक नए शासन की शुरुआत की गयी है उनके लिए जो अपना खुद का व्यापार करते हैं और जो यह सहाय प्राप्त करने की शर्तों के अधिकारी नहीं हैं जिनके इस समय दौरान कामकी या व्यापार की कमी हुई है, उनके लिए कुछ नये मदद करने के उपाय किये जायेंगे, जो व्यापारी विक्री कर की छूट है या टैक्स नहीं भर रहे या फिर वह लोग जिन्होंने अपना व्यापार १२ महीने से काम वक़्त से शुरू किया है, उन्हें २१९.४० यूरो को सहाय की जाएगी ( जो सरकार द्वारा दी जानेवाली मासिक आर्थिक मदद की आधी रकम है );

● जिन व्यापारियों की विक्री या व्यापार कम हुआ है, और उनको मदद करने की जो सरकार द्वारा तय की हुई कुछ शर्तें/नियम है, और उसमें वह आते हैं तो उन्हें कम से कम २१९.४० यूरो की आर्थिक मदद दी जाएगी.

● सामाजिक बेरोजगारी लाभ की आर्थिक सेवा जो मिलती है उस की जो तय कि गयी अवधि होती है होती है उसके आधे समय में मदद मिलने का दायित्व सरकार लेती है. यह जो प्रारंभिक सामाजिक बेरोजगारी लाभ है वह उन्हें मिलेंगे जो लोग:

- जिन्होंने ९० दिन किसी और के यहाँ नौकरी की है, और उनके उस पगार/आमदनी की रजिस्ट्री हुई है, उनके यह ९० दिन की नौकरी उनके काम खत्म होने के पहले के दिन से पिछले एक साल के दौरान के होने चाहिए

- जिन्होंने ६० दिन किसी और के यहाँ नौकरी की है, और उनके उस पगार/आमदनी की रजिस्ट्री हुई है, उनके यह ६० दिन की नौकरी उनके काम खत्म होने के पहले के दिन से पिछले एक साल के दौरान के होने चाहिए, उस मामले में, जिनमें किसी के काम का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हो या उनके मालिक ने जो नया काम शुरू करने के पहले जो काम करने की क्षमता की जांच का समय होता है उस वक़्त के बाद कॉन्ट्रैक्ट आगे न बढ़ाया हो;

● सामाजिक बेरोजगारी लाभ देने की प्रक्रिया को गतिशील किया गया है, उसे इस लाभ की मांग की याचनापत्र दाखिल करवाने पे निर्भर नहीं किया गया.

● यह उपाय उनको ले कर लिया गया है जिनको इस सामाजिक आर्थिक सुरक्षा से बहार रखा गया था, उन कर्मचारियों के लिये है जो इस सामाजिक सहायता ( Segurança Social ) की प्रणाली के दायरे में नहीं आते थे उन्हें यह सहाय प्रदान की जाएगी, जिन्होंने अपने काम/व्यापार की शुरुआत या पुनःशुरुआत वित्त विभाग में दर्ज करवाई है, उन्हें २१९.४० यूरो की मदद दी जाएगी ( जो सरकार द्वारा दी जानेवाली मासिक आर्थिक मदद की आधी रकम है ). इन लोगों को २४ महीने की अवधि के लिए सामाजिक सुरक्षा विभाग ( Segurança Social ) से जुड़ा हुआ होना आवश्यक है.

अधिक जानकारी के लिये देखें :

१३ मार्च के इस [कानून क्रमांक १०-ए/२०२०](#) का सातवाँ परिवर्तन है जो कोविड - १९ की महामारी के इस समय दौरान सामाजिक के लिये लिए गए कुछ असाधारण उपाय स्थापित करता हैं और जो कोविड - १९ महामारी से संबंधित असाधारण और अस्थायी उपायों को बदलता है. ( १३ मार्च के [कानून क्रमांक १०-ए/२०२०](#) बारे में जानने के लिए के इस का ठोस संस्करण देखें)